न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 134/2022

उनवान

1. गोरू उर्फ गोरधन पुत्र गोविन्द,
2. गजिया उर्फ धन्ना पुत्री सोदान
3. गोपाल पुत्र सोदान
4. दयाल ना.बा. पुत्र सोदान जारियें सरंक्षक मनभरी पत्नी सोदान
5. बाबू उर्फ रतनी पुत्री सोदान,(नाबालिग जरिये माता मनभरी),
6. मंजू पुत्री सोदान, व
7. राजू (नाबालिग जरिये माता मनभरी),
8. सुखपाल पुत्र सोदान,
9. मनभरी पत्नि सोदान जाति गुर्जर निवासी तिलाना नसीराबाद।

—वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. महावीर पुत्र सोदान,
2. दीपा,
3. लाली पुत्री स्व. महाराम (नाबालिग जरिए माता मन्ना),
4. शिव,
5. शंकर पुत्र स्व.महाराम (नाबालिग जरिए माता मन्ना),
6. मन्ना पत्नि महाराम,
7. प्रेम,
8. ग्यारसी पुत्री गोविन्द,
9. पॉचू पुत्र श्योजी,
10. रतनी पत्नि सुवालाल, जाति गुर्जर नि. तिलाना नसीराबाद,
11. किशनलाल पुत्र लादूलाल, जाति गुर्जर निवासी विधालय के पास मदार, नारेली, अजमेर
12. मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सनोद,
13. मैनेजर आरिऐन्टर कॉमर्स बैंक शाखा सनोद,
14. मैनेजर स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा नसीराबाद,
15. उपपंजीयन अधिकारी कार्यालय उपतहसील श्रीनगर,
16. राज. सरकार जरिऐ तहसीलदार, नसीराबाद।

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 10 व 12 से 14 अनुपस्थित
11 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
15 व 16 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955

निर्णय [illegible] दिनांक 1.7.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना के खसरा संख्या 409/602 किता 3 रकबा 0.81, 408/601 किता [illegible] रकबा 3.38, 285/288

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रकबा 4.23, 407/606 किता 3 रकबा 0.10 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी आराजी की है। वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर हक व हिस्सा निहित है। उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व 12 से 14 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 11 ने प्रकरण में जवाब पेश नही करना जाहिर किया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकोर की बहस पर

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादीगण ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व 12 से 14 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 11 व राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार तिलाना के खाता संख्या 409/602 किता 3 रकबा 0.81, 408/601 किता 19 रकबा 3.38, 285/288 किता 4 रकबा 4.23, 407/606 किता 3 रकबा 0.10 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गौरू बनाम महावीर

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा **नम्बर** – 131/2022
पेश करने की दिनांक – 15.09.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक रणजीत रावत व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

तिलाना के खाता संख्या 409/602 किता 3 रकबा 0.81, 408/601 किता 19 रकबा 3.38, 285/288 किता 4 रकबा 4.23, 407/606 किता 3 रकबा 0.10 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 7 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested